

Ans (2)

एबमि प्रदूषण : २ रेगुलेशन कटौल (रुमे-डर्म-ए) नियम 2008 के महत्वपूर्ण प्राधान्य नियम है।

(1) इसे एबमि प्रदूषण नियम 2000 भी कहते हैं।

(2) क्षेत्र के अनुसार एबमि स्तर बनाये शर्तों के लिए राज्य सरकार क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार बगीकल करना चाहिए

(3) केवल सामाजिक तथा व्यक्तिगत पार्श्व या पर्वों के अवसरों पर ही शक्ति 10 Pm से 12 Pm तक साइडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए।

(4) यह अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए

(5) एबमि स्तर से 10 डेसीबल का और अधिक हो तो उसकी शिकायत करनी चाहिए।